संख्या:322 / 2015 / 2364 / 35-4-2015

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 21 नवम्बर,2015

विषय : त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य की अवमुक्त धनराशि को व्यय करने हेतु अनुमति दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-611 / अधि.भवन / त्व0आ0वि0यो0 / 2015 दिनॉक 25 अगस्त, 2015, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या-174 / 2015 / 496 / 35-4-2015 दिनांक 31 मार्च,2015 द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता भवन / बार काउन्सिल भवन निर्माण कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु प्रश्नगत परियोजना की रू0 90.57 लाख की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0 59.79 लाख को समायोजित करते हुये अवशेष धनराशि रू0 30.78 लाख आपके निवर्तन पर रखीं गई है। उक्त शासनादेश द्वारा अवमुक्त धनराशि के भुगतान की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि शासनादेश संख्या-174 / 2015 / 496 / 35-4-2015 दिनांक 31 मार्च,2015 में निहित शर्त सं0-6 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुये आख्या शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

संख्या:322 / 2015 / 2364(1) / 35-4-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- प्रमुख सचिव / सचिव, न्याय / लोक निर्माण ।
4- प्रमुख सचिव, वित्त।
5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
6- मण्डलायुक्त, कानपुर।
7- मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0।
10- गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से ,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in